HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 5059/2026
CNR: RJHC010383912026
URN: CRLMB / 11390U / 2026

Jagdish S/o Lachhiram, Aged About 20 Years, Resident Of Deva Talab Sakroda Police Station Dabok District Udaipur. (Presently Lodged In Central Jail Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bharat Shrimali
For Respondent(s)	:	Mr. Sonu Manawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI (V.C.)

Order

13/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त **जगदीश** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**27.03.2026** के विरूद्ध यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **प्रताप नगर, जिला उदयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**685/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **126(2), 115(2), 117(2), 109(1)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–188/2026 दिनांक 20.01.2026, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिए जाने के कारण निरस्त किया गया है।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी दिनांक 05.12.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। उनका यह भी निवेदन है

कि घटना में मजरूब ललित उर्फ लोकेश को चोटें कारित हुई हैं, मजरूब ललित के बयान दिनांक 02.12.2025 को अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किए गए हैं, जिसमें मजरूब ने यह स्पष्ट तौर पर बताया है कि उसके सिर पर भगवतीलाल ने चोट मारी है, उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर मजरूब ने आरोप नहीं लगाया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया, मजरूब ललित के बयान का अवलोकन किया। प्रार्थी दिनांक 02.12.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, अतः दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, अनुसंधान के दौरान मजरूब ललित के बयान की प्रकृति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा, तो प्रार्थी/अभियुक्त **जगदीश पुत्र श्री लच्छीराम** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Manoj Adwani/02